न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट–ट्रेक) बांदीकुई जिला दौसा

प्रकरण सं. 156 / 2017
प्रकरण दायर दिनांक 21.07.201
इस न्यायालय में दर्ज दायर सं 45 / 2020
दिनांक 03.01.2020
निर्णय दिनांक 01.04.2020

उनवान

जंगली उम्र 63 वर्ष पुत्र श्री गंगाधर जाति बैरवा निवासी कठनाडी तहसील वसवा जिला दौसा।

वादी ....

बनाम

1. धन्ना पुत्र गंगाधर
2. कौशल्या पुत्री गंगाधार
3. कोमल पुत्री गंगाधर
4. किशोरीलाल पुत्री प्रभात्या
5. भोली पि प्रभात्या
6. किस्तुरी पुत्री प्रभात्या
7. फावुली पुत्री प्रभात्या
8. रामनिवास पुत्र सुमरत्या
9. कैलाश पुत्र सुमरत्या
10. वंसती पुत्री सुमरत्या
11. छोटी पुत्री सुमरत्या
12. प्रेम पत्नि रामकरण
13. सुरेश पुत्र रामकरण
14. त्रिवेन्द पुत्र रामकरण
15. मीना पुत्री रामकरण
16. सविता पुत्री रामकरण
17. हेमलता पुत्री रामकरण
18. प्रेम पत्नि कालुराम
19. अरूण पुत्र कालूराम
20. रेखा पुत्री कालुराम

समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम कठनाडी तहसील बसवा जिला दौसा

21. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील बसवा।
22. उपपंजीयन अधिकारी, उपपंजीयन कार्यालय बडियालकलां, तहसील बसवा।

प्रतिवादीः–

"दावा तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा"

निर्णय

न्यायालय उपजिला कलक्टर बांदीकुई वादी द्वारा दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पत्र पेश किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः– ग्राम कठनाडी पटवार हल्का रलावता तहसील बसवा जिला दौसा में भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 67 पुरानी 65 का खसरा नम्वर 65 का खसरा नं. 137 रकवा 0.16 हैक्टे0 खसरा 138 रकवा 0.09 हैक्टे कुल किता 2 कुल रकवा 0.25 हैक्टे वार्षिक लगानी 4/– रू स्थिति है जिसको आगे चलकर भूमि मुतदाविया के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। भूमि मुतदाविया में वादी एवं प्रतिवादी सं. 01 लगायत 03 का हिस्सा 1/3 जमावंदी दर्ज है। जिसका अभितक विधिवत तकास्मा नही हुआ है। वादी ने पुर्व में श्रीमान के समक्ष तकास्मा का दावा पेश किया गया था प्रतिवादीगण की सहमति से कि उक्त भूमि मुतदाविया में सभी पक्षकारान 12 फुट रास्ते छोंडेगें व उक्त भूमि मुतदाविया का सहमति सये तकास्मा करवा लेगें। इस लिये वादी ने पुर्व दावे को विड्रो करा लिया था। लेकिन अव प्रतिवादी सं. 01 के मन में वदनीयती आ गई है जो कि इकरारनामा सहमति पत्र दिनांक 30.9.2016 की पालना नही कर उक्त भूमि में 12 फुट रास्ते पर अवैध अतिक्रमण कर वादी के आने–जाने अवरोध उत्पन्न कर रहा है व वादी से दिनांक 14.07.2017 को कहा कि मै उक्त भूमि का तकास्मा नही कराऊंगा व उक्त भूमि मुतदाविया को किसी अन्य दीगर व्यक्ति को वेचकर रहुंगा इसलिये प्रतिवादी

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक)

Scanned with CamScanner

सं 1 को भूमि मुतदाविया का जक तक तकास्मा नही हो जाये तब तक किसी दीगर शख्स को रहन, बय, हस्तान्तरित करने से, खाम या पुख्ता निर्माण करने से, वादी के हक व हिस्से व अधिकारात में अपना नाजायज जबरिया कब्जा करने की कोशिश करने से वादी के कब्जे–काश्त में किसी प्रकार की मजहमत पैदा करन`स व उक्त भूमि पर स्थित बोरिंग का पानी अन्य दीगर व्यक्तियों को बेचने से दवामि तौर पर स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित रहे। उक्त भूमि मुतदाविया का सरस–नरस के अनुसार विधिवत तकास्मा किया जाकर वादी का हिस्सा 1/12 का अलग चक व अलग खाता व अलग लगान कायम किया जाकर वादी की अलग पासबुक जारी की जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण तलबी करवाई गई पत्रावली दिनांक 9.11.2017 को पेश हुई बावजुद सूचना के प्रतिवादीगण उपस्थित नही होने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी 1 धन्ना उपस्थित पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा कैम्प रलावता दिनांक 15.06.2018 को पेश हुई पक्षकारान की बाद सुनवाई दावा वादीगण प्राथमिक रूप से डिक्री किया गया रास्ता, कब्जा मौका का ध्यान रखते हुए कुर्रेजात प्रस्ताव बनाये जाने के आदेश दिये गये। तहसीलदार बसवा के पत्रांक 2106 दिनांक 05.05.2021 को कुर्रेजात प्राप्त हुये:– जो निम्न प्रकार है।

हाल जमाबंदी मे दर्ज खातेदारी					कुर्रेजात के अनुसार खातेदार का विवरण				
क्र. सं.	खातेदार का नाम	ख0 नं0	रकबा	किस्म	क्र. सं.	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा	किस्म
01	धन्ना जंगली पुत्र गंगाधर कोमल कौशल्या पुत्री गंगाधर हि. 1/3 व रामनिवास कैलाश पुत्र सुमरत्या हि0 2/21 छोटी बसंती पुत्री सुमरत्या हि0 2/21 हि0 ब. जानकी पत्नी सुमरत्या हि0 1/21 जितेन्द्र सुरेश पुत्र रामकरण मीना सविता हेमलता पुत्र रामकरण प्रेमबाई पत्नी रामकरण हि0 1/21 हि. ब. व अरूण कुमार पुत्र कालूराम प्रेम पत्नी कालूराम रेखा पुत्री कालूराम रेखा पुत्री कालूराम हि0 1/21 हि. ब. किशोरीलाल भोली पुत्र प्रभात्या हि0 1/6 हि0 ब0 किस्तुरी फाबुली पुत्र प्रभात्या हि0 1/6 हि0 कौम बलाई सा.देह खातेदार	137 138	0.16 है0 0.09 है0	बारानी ए बारानी ए	1	जंगली पुत्र गंगाधर जाति बलाई सा0 देह खातेदार	137/2 138/2	0.01 0.01	बारानी ए बारानी ए
						कुल	किता–2	0.02	बारानी ए
					2	धन्ना पुत्र गंगाधर कामेल कौशल्या पुत्री गंगाधर हि0 12/44 हि0 बराबर रामनिवास कैलाश पुत्र सुमरत्या छोटी बसन्ती पुत्री ,सुमरत्या हि0 16/77 हि0 ब0 जानकी पत्नी सुमरत्या हि0 4/77 जितेन्द्र सुरेश पुत्र रामकरण मीना सविता हेमलता पुत्री रामकरण हि0 4/77 हि0 ब0 किशोरीलाल भोली पुत्र प्रभात्या हि0 2/11 हि0 ब0 किस्तुरी फाबुली पुत्र प्रभात्या हि0 2/11 हि0 ब0 जाति बलाई सा0 देह खातेदार	137/1 138/1	0.15 0.08	बारानी ए बारानी ए
						कुल	किता–2	0.23 है	
	योग	किता–2	0.25	–					

पत्रावली न्यायालय उपखंड अधिकारी बांदीकुई से न्यायालय हाजा मे दिनांक 03.01.2022 को स्थानान्तरण होकर
ग्रालय हाजा मे प्राप्त हुई। हमने पत्रावली वहस कुर्रेजात पर नियत की गई। पत्रावली पर प्रतिवादी पूर्व से ही एकपक्षीय
र्रवाही हो चुकी है। वहस वादी वकील द्वारा की गई। प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव पर वादी वकील द्वारा सहमति प्रकट की
। तहसीलदार बसवा से प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव एवं वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना उचित समक्षते है। अतः
। कठनाडी पटवार हल्का रलावता तहसील बसवा जिला दौसा में भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 67 पुरानी 65 का
रा नम्बर 65 का खसरा नं. 137 रकबा 0.16 हैक्टे0 खसरा 138 रकबा 0.09 हैक्टे कुल किता 2 कुल रकबा 0.25 है0
तहसीलदार से प्राप्त कुर्रेजात अनुसार तकासमा किया जावे। प्राप्त कुर्रेजात आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार बसवा
ग्रमानुसार राजस्व रिकार्ड के अमल दरामद करे अंतिम डिक्री पर्चा एवं तहरीर जारी होकर प्रकरण बाद तकमील दाखिल
तर हो। निर्णय आज दिनांक 01.04.2022 को खुले न्यायालय मे लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

(भावना शर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
सहायक कलेक्टर फास्ट–ट्रेक बांदीकुई
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
जिला दौसा
(फास्ट ट्रेक)

Scanned with CamScanner